भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

प्रपत्र सं. 3 सीपी

1	आवेदक का नाम, पता तथा पेन सं.	मैसर्स डीसीएम श्रीराम कोनसोलिटिड लि. नई दिल्ली पैन:- एएएसीडी0097आर
2	कृषि विस्तार परियोजना का नाम	शुगर मैन्यूफैक्चरिंग एंड को-जेनरेशन आफ पावर
3	कृषि विस्तार परियोजना का प्रयोजन	उत्तर प्रदेश राज्य में अजबापुर, रुपापुर, हरियावन व लोनी में चीनी यूनिट क्षेत्रों में किसानों को सर्वोत्तम प्रक्रिया से अवगत कराके व नई/उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाकर गन्ना उत्पादकता में सुधार करना
4	आवेदन की संदर्भ संख्या और तिथि	फा.सं.203/20/2015-आ.क.नि-।।,दिनांक14.05.2015 को प्राप्त हुई।
5	कृषि विस्तार परियोजना को आरंभ करने की तिथि	पहले ही आरंभ की जा चुकी है। तथापि, अनुमोदन आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 गगग के तहत औपचारिक अधिसूचना जारी होने की तारीख से ही प्रभावी होगा।
6	कृषि विस्तार परियोजना की माह के हिसाब से अवधि	चल रही परियोजना।
7	कर-निर्धारण वर्ष (वर्षों) जिनके लिए कृषि विस्तार परियोजना को अधिसूचित किया जा रहा है (तीन वर्षों से अधिक नहीं)	**अधिसूचना के विविध जारी होने की तारीख से 31.3.2016 तक।**
8	कृषि विस्तार परियोजना पर होने वाले संभावित कुल खर्च (भूमि अथवा भवन की लागत राशि से भिन्न)	निर्धारण वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के लिए, आवेदक ने क्रमश: 2,99,00,000/-रु. 4,62,00,000/- रु. और 5,57,00,000/-रू. के व्यय का दावा किया है। तथापि वित्त वर्ष 2013-14 और 2014-15 के संबंध में, धारा 35गगग के तहत दावा अनुमत नहीं है क्योंकि भारित कटौती को अधिसूचना के विधिवत जारी होने की तारीख से ही अनुमत किया जा सकता है। जबकि वित्त वर्ष 2015-16 के

		लिए संभावित व्यय 5,57,00,000/- रु. से कम होगा।
9	कृषि विस्तार परियोजना के प्रत्येक लाभग्राही से प्राप्त की जाने वाली राशि, यदि कोई हो,	शून्य

10. वे शर्तें जिनके अध्यधीन (शुगर मैन्यूफैक्चरिंग एंड को-जेनरेशन आफ पावर) नाम से कृषि विस्तार परियोजना को अधिसूचित किया जा रहा है, निम्नानुसार है:-

(i) कृषि विस्तार परियोजना को शुरू करने वाली अनुमोदित संस्था धारा 35 गगग की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचित कृषि विस्तार परियोजना की लेखाबहियां पृथक रूप से रखेगी तथा ऐसी लेखाबहियों की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे उल्लिखित स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किए गए अनुसार किसी लेखाकार से लेखा-परीक्षा कराएगी।

(ii) उपनियम (1) में उल्लिखित लेखा परीक्षा में लेखा-परीक्षक की कृषि विस्तार परियोजना के सम्बंध में अनुरक्षित लेखाबहियों के सही और उचित होने के संबंध में की गई टिप्पणियां, कृषि विस्तार परियोजना के क्रियाकलापों की वास्तविकता तथा अधिनियम के संगत उपबंधों में विनिर्दिष्ट शर्तों के पूर्ण किये जाने अथवा नियमों अथवा नियम 6 ककघ के उपनियम (6) या उपनियम (9) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में उल्लिखित नियमों अथवा शर्तों को पूर्ण किए जाने के संबंध में टिप्पिणियां शामिल होंगी।

(iii) अनुमोदित संस्था प्रशिक्षण, शिक्षा, मार्गदर्शन अथवा ऐसे प्रशिक्षण, शिक्षा अथवा मार्गदर्शन हेतु वितरित की गई किसी सामग्री के लिए पात्र कृषि विस्तार परियोजना के अन्तर्गत किसी लाभग्राही से कोई राशि स्वीकार नहीं करेगी।

(iv) अनुमोदित संस्था अधिनियम की धारा 35गगग के उपबंधों, नियम 6 ककघ और इस नियम के अनुसार पात्र व्यय की कटौती के अलावा अधिसूचित कृषि विस्तार परियोजना से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ नहीं उठाएगी। अनुमोदित संख्या अपनी कृषीय विस्तार परियोजना/कार्यकलाप/योजना को अपने उत्पादों के ब्रांड नाम पर नहीं रखगी।

(v) आवेदक परियोजना से लाभांवित किसानों की डाटाशीट को कृषि मंत्रालय को भेजेगा। इसके अतिरिक्त आवेदक मिट्टी (सोइल) हेल्थ से संबंधित डाटा भी साझा करेगा और कृषि मंत्रालय के पास उपलब्ध मिट्टी टेस्टिंग प्रयोगशाला की अतिरिक्त क्षमता की उपलब्धता के संबंध में सूचना भी प्रदान करेगा।

(vi) लाभग्राही से प्राप्त की गई राशि, यदि कोई हो, को घटाने के बाद सभी खर्चे (किसी भूमि या भवन की लागत स्वरूप का व्यय न होने पर) जिन्हें किसी पात्र कृषि विस्तार परियोजना को शुरू करने हेतु पूर्ण तथा अनन्य रूप से खर्च किया गया है, धारा 35 गगग के तहत कटौती के पात्र होंगे;

परन्तु यह कि कृषि विस्तार परियोजना पर खर्च किया गया कोई व्यय जिसकी कर निर्धारिती को किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिपूर्ति की गई है या की जानी है, के लिए धारा 35 गगग के अंतर्गत कोई कटौती नहीं दी जाएगी।

(vii) जहां अधिनियम की धारा 35 गग के अन्तर्गत किसी कटौती का किसी कर-निर्धारण वर्ष हेतु दावा किया जाता है तथा उसे अनुमत किया जाता है तो ऐसे व्यय के संबंध में अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अन्तर्गत उसी कर-निर्धारण वर्ष अथवा अन्य किसी कर –निर्धारण वर्ष में कटौती अनुमत नहीं की जाएगी।

(viii) अनुमोदित संस्था द्वारा धारा 139 की उपधारा (1) के अन्तर्गत आय विवरणी को प्रस्तुत करने की नियत तिथि को या उससे पूर्व निम्नलिखित सूचना क्षेत्राधिकार पीसीआईटी/सीआईटी/पीडीआईटी/डीआईटी, जैसा भी मामला हो, को भी प्रस्तुत करेगी, नामत:-

(क) लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ पूर्व वर्ष के लिए कृषि विस्तार परियोजना के लेखाओं के लेखापरीक्षित किए गए विवरण तथा धारा 35 गगग की उप धारा (1) के अन्तर्गत दावा की गई कटौती की राशि;

(ख) पूर्व वर्ष के दौरान इसके द्वारा शुरू की गई कृषि विस्तार परियोजना पर तथा चालू वर्ष के दौरान शुरू की जाने वाली कृषि विस्तार परियोजना के कार्यक्रम के संबंध में एक टिप्पणी और ऐसे कार्यक्रम हेतु वित्तीय आबंटन; तथा

(ग) कर –निर्धारिती द्वारा पूर्व वर्ष के दौरान शुरू की गई कृषि विस्तार परियोजना की वास्तविकता के संबंध में कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से प्रमाणपत्र।

(ix) इस परियोजना के अंतर्गत कम्पनी की प्रोफाइल और उत्पादों पर अल्प सत्र को छोड़कर केवल उत्पाद निष्प्रभावी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त परियोजना के तहत लाभांवित किसानों को किसी भी चीनी फैक्टरी को गन्ना सप्लाई करने की सुविधा होगी।

11. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अपना अनुमोदन वापस ले लेगा यदि अनुमोदित संस्था:-

(क) अपने क्रियाकलाप बंद कर देती हैं; अथवा

(ख) इसके क्रियाकलाप अवास्तविक पाए जाते हैं; अथवा

(ग) इसके क्रियाकलाप अधिनियम के सभी या किसी संगत उपबंधों अथवा नियमों के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं; अथवा

(घ) इसके क्रियाकलाप ऐसी सभी शर्तों अथवा उनमें से किसी भी शर्त के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं जिन शर्तों के अध्यधीन अधिसूचना जारी की जा रही है।

स्थान: नई दिल्ली,
दिनांक 26/2/2015

Rg

(रोहित गर्ग)
उप सचिव, भारत सरकार

(फा.स.203/20/2015-आ.क.नि.II)
अधिसूचना सं. 52/2015

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय
मायापुरी, नई दिल्ली

प्रतिलिपि:

1. मैसर्स डीसीएम श्रीराम कोनसोलिटिड लि. 5वां फ्लोर तल, कंचनजंगा बिल्डिंग 18, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली
2. कृषि मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली
3. संबंधित प्रधान आयकर आयुक्त
4. संबंधित राज्य का कृषि विभाग
5. संबंधित जिले (जिलों) का कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (एटीएमए)
6. भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
7. प्रधान सीसीआईटी, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि कर निर्धारिती के मामले में विवरणी दाखिल किए जाने हेतु नियत तारीख से 60 दिन के भीतर क्रम सं. 10 (viii) में दी गई शर्त के अनुपालन के बारे में बोर्ड को सूचित किया जाए
8. संबंधित फाइल
9. विधि एवं न्याय मंत्रालय (सुधार अनुभाग), नई दिल्ली
10. प्रधान डीजीआईटी (प्रणाली), नई दिल्ली को incometaxindia.gov.in वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
11. गार्ड फाइल
12. आईटीसीसी, के.प्र.क.बो (04 प्रतियां)

Rg

(रोहित गर्ग)
उप सचिव, भारत सरकार